निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1933 (श0)

(सं0 पटना 395) पटना, बुधवार, 3 अगस्त 2011

पथ निर्माण विभाग

————————

अधिसूचना

6 जुलाई 2011

सं0 निग/सारा–4–(पथ) आरोप–94/10–7637 (एस)—राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 107 पर अवस्थित बी0पी0 मंडल सेतु स्थल का निरीक्षण सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2010 को किये जाने के उपरान्त पुल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसके बचाव कार्य में सहयोग देने हेतु श्री मुकेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगुसराय सम्प्रति सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब सामग्री के साथ सेतु स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया परन्तु कार्यपालक अभिंयता, राष्ट्रीय उच्च पथ, प्रमण्डल खगडिया द्वारा बताया गया कि श्री सिंह दिनांक 02 सितम्बर 2010 के पूर्वाह्न 3:30 बजे तक सेतु स्थल तक नहीं पहुंचे। उच्चाधिकारियों के आदेश उल्लघंन एवं सेतु बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति शिथिलता बरतने के आरोप के लिए उनकी सेवा मुख्यालय में लेते हुए विभागीय पत्रांक–13184 (एस), दिनांक 03 सितम्बर 2010 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक–शून्य, दिनांक 13 सितम्बर 2010 के विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 107 पर अवस्थित बी0पी0 मंडल सेतु बचाव कार्य में सहयोग देने हेतु उच्चाधिकारियों के निदेश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा कार्य के प्रति शिथिलता बरती गयी जिसके लिए श्री सिंह स्पष्टतः दोषी है।

तद्आलोक में श्री मुकेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगुसराय सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगुसराय सम्प्रति सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग,

बिहार, पटना से प्राप्त स्पष्टीकरण पत्रांक–शून्य, दिनांक 13 सितम्बर 2010 को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 395-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in